राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3394/2025

महिपाल वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. श्री रनजीत कुमार हरिजन, प्रधानाचार्या, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुस्कानी (Phuskani), जिला झुंझुनू।

प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.07.2025
आदेश की दिनांक : 25.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाकीब खड़ग सिंह नंगली गुजरान उदयपुरवाटी जिला झुंझुंनू से सेवानिर्वत हो गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.1990 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2009 में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा वर्ष 2016 में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई। उसके बाद अपीलार्थी को अपीलार्थी को वर्ष 2018 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाकीब खड़ग सिंह नंगली गुजरान उदयपुरवाटी जिला झुंझुंनू में स्थानान्तरण कर दिया गया। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2025 को प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत हो गया है। अपीलार्थी बुधराम एवं रणजीत सिंह से वरिष्ठ है। अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक वर्ष 2011–12 की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रमांक 661 है। अैर प्रधानाध्यापक के पद पर बुधराम की वरिष्ठता क्रमांक 664 (जी) है। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 वर्ष 2012–13 में प्रधानाध्यापक के पद पर वरिष्ठता क्रमांक 161 है। इसके अलावा, वरिष्ठ अध्यापक के पद पर अपीलार्थी की वरिष्ठता संख्या 3410 थी। जबकि री बुधराम की वरिष्ठता संख्या 3499 थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की वरिष्ठता संख्या 3937 है।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं श्री बुधराम के पदोन्नति आदेशों से स्पष्ट है, जो दिनांक 07.05.2013 (अनुलग्नक–3) को जारी किये गये थे। लेकिन बुधराम को वर्ष 2015–16 के लिए रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 03.07.2015 (अनुलग्नक–1) के आदेश के तहत प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को वर्ष 2016–17 के लिए रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 14.05.2016 (अनुलग्नक–2) के आदेश के द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 के लिए रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 20.07.2016 (अनुलग्नक–3) के आदेश द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 29.07.2016 के द्वारा अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी ने वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.06.2016 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को संसद सदस्य द्वारा दिनांक 26.06.2016 (अनुलग्नक–6) को प्रतयर्थी संख्या 2 को अग्रेषित एवं अनुशंसित भी किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 04.07.2016 (अनुलग्नक–7) एवं दिनांक 28.04.2017 (अनुलग्नक–8) तथा उसके बाद भी अनुस्मारक भेजे, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आज तक उनके अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति में भेदभाव के कारण अपीलार्थी को वेतन एवं पेंशनभोगी लाभों में भी आर्थिक हानि हो रही है। अपीलार्थी को प्रधानाचार्य का पद नहीं दिया गया है, जिससे अपीलार्थी को जुलाई, 2016 की एक वार्षिक वेतन वृद्धि की हानि हुई है। अपीलार्थी को उनसे कनिष्ठ कार्मिकों की तुलता में कम वेतन और पेंशन मिल रही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार करें एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित करे कि वे अपीलार्थी को वेतन, वेतन वृद्धि और पेंशनभोगी लाभों सहित सेवा के सभी पारिणामिक लाभ देय तिथि से भुगतान की तिथि तक बकाया राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष